

मूल वाद में डिक्ली
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ला दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :-179/2024

1. जगदीश पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एम.जैड.डब्ल्यू, डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. पालाराम पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एम.जैड.डब्ल्यू, डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. चावलीदेवी पत्नी हरिराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एम.जैड.डब्ल्यू, डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादीगण

बनाम

1. ख्यालीराम पुत्र गुगनराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एम.जैड.डब्ल्यू, डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्ण पुत्र गुगनराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एम.जैड.डब्ल्यू, डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. नीलम पुत्री सोमादेवी पत्नी प्रदीप कुमार जाति मेघवाल निवासी अबूबशहर तहसील डबवाली जिला सिरसा।
4. भागवन्ती पुत्री सोमा देवी पत्नी विनोद कुमार जाति मेघवाल निवासी बिज्जूवाली तहसील व जिला सिरसा।
5. विमला पुत्री सोमा देवी पत्नी जयवीर जाति मेघवाल निवासी बिज्जूवाली तहसील व जिला सिरसा।
6. सरोज पुत्री सोमादेवी पत्नी महावीर कुमार जाति मेघवाल निवासी बिज्जूवाली तहसील व जिला सिरसा।
7. राजेन्द्र कुमार पुत्र सोमा देवी पत्नी जसराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. घोषणा एवं खाता विभाजन

डिक्ली

दिनांक :- 30.07.2024

वादीगण की ओर से श्री रायसिंह भाखर अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री हरविन्द्रसिंह गिल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.07.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. पदेन सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्ली दी जाती है कि

- (क) वादीगण संख्या 1 ता 3, जगदीश, पालाराम व चावली देवी को बकाया प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 7 एम.जैड.डब्ल्यू, के पत्थर नम्बर 188/37 किला नम्बर 11/2/0.128 दक्षिणी दिशा, 12/0.150 दक्षिणी दिशा, 19/0.182 उत्तरी दिशा, 20/2/0.160 हैक्टर उत्तरी दिशा।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 ख्यालीराम को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 7 एम.जैड.डबल्यू के पत्थर नम्बर 188/371(27) किला नम्बर 19/0.071 दक्षिणी दिशा, 20/2/0.068 दक्षिणी दिशा, 21/2/0.228, 22/0.253 हैक्टर।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 कृष्ण को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 7 एम.जैड.डबल्यू के पत्थर नम्बर 188/371(27) किला नम्बर 1/2/0.095, 1/3/0.095, 1/4/0.038 हैक्टर गैर मुमकिन खाला, 10/2/0.228, 11/2/0.100 उत्तरी दिशा, 12/0.103 हैक्टर उत्तरी दिशा।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुहर



(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी